

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
बाँका, मधेपुरा, जमुई, कैमूर, बेगुसराय, किशनगंज,  
पूर्णिया, जहानाबाद, नवादा, अरवल, नालन्दा, रोहतास,  
बक्सर, वैशाली, सिवान, समस्तीपुर, प० च० बेतिया,  
औरंगाबाद एवं सुपौल।

पटना-15, दिनांक- 10-2-2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक शीर्ष 3604 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन लघुशीर्ष-200 अन्य विविध क्षतिपूर्तियाँ और समनुदेशन उपशीर्ष 0001-भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को सेस का भुगतान, विपत्र कोड-एन-3604002000001 के अंतर्गत रूपये 3,25,85,000(तीन करोड़ पचीस लाख पचासी हजार) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निम्नांकित जिला परिषदों का उनके नाम के सामने अंकित राशि वर्ष 2014-15 में रोड सेस वसूली के आधार पर आवंटित किया जाता है

क्रम सं०	जिला परिषद का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	बाँका	25,36,000=00 (पचीस लाख छतीस हजार)
2	मधेपुरा	27,62,000=00 (सत्ताईस लाख बासठ हजार)
3	जमुई	10,38,000=00 (दस लाख अड़तीस हजार)
4	कैमूर	7,44,000=00 (सात लाख चवालीस हजार)
5	बेगुसराय	22,58,000=00 (बाईस लाख अनठावन हजार)
6	किशनगंज	14,90,000=00 (चौदह लाख नब्बे हजार)
7	पूर्णिया	44,07,000=00 (चौवालीस लाख सात हजार)
8	जहानाबाद	7,40,000=00 (सात लाख चालीस हजार)
9	नवादा	15,26,000=00 (पन्द्रह लाख छब्बीस हजार)
10	अरवल	3,36,000=00 (तीन लाख छत्तीस हजार)
11	नालन्दा	12,54,000=00 (बारह लाख चौवन हजार)
12	रोहतास	12,38,000=00 (बारह लाख अड़तीस हजार)
13	बक्सर	8,33,000=00 (आठ लाख तेतीस हजार)
14	वैशाली	17,90,000=00 (सतरह लाख नब्बे हजार)
15	सिवान	13,22,000=00 (तेरह लाख बाईस हजार)
16	समस्तीपुर	29,20,000=00 (उन्तीस लाख बीस हजार)
17	प० च० बेतिया	8,44,000=00 (आठ लाख चौवालीस हजार)
18	औरंगाबाद	16,27,000=00 (सोलह लाख सत्ताईस हजार)
19	सुपौल	29,20,000 (उन्तीस लाख बीस हजार)
कुल-3,25,85,000=00 (तीन करोड़ पचीस लाख पचासी हजार रूपये मात्र)		


उपर्युक्त मो० 3,25,85,000=00 (तीन करोड़ पचीस लाख पचासी हजार रूपये मात्र)) से संबंधित आदेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि०) दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित राशि बजट उपबंध के अंतर्गत है।

3. जिला परिषद को देय उपर्युक्त आवंटन मात्र इस शर्त के साथ आवंटित किया जाता है कि इसका उपयोग नियमानुसार एवं सरकारी अनुदेशानुसार संबंधित मद में ही किया जायेगा।


क०प०उ०

4. उपर्युक्त आवंटित राशि का आवंटन जिला परिषद् को तुरंत किया जाय। आवंटित राशि के व्यय की विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर सरकार को अविलंब भेजने की कृपा की जाय।
5. रिटर्न-I (वार्षिक विवरणी), उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. उपर्युक्त आवंटित राशि का विपत्र कोड नं० एन०-3604002000001 एवं विषय शीर्ष-3106 तथा भांग संख्या-40 है।


विश्वासभाजन

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-..... 96(9)/110 दिनांक-..... 10-2-2016  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-..... 96(9)/110 दिनांक-..... 10-2-2016  
प्रतिलिपि :- सभी सम्बंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... 96(9)/110 दिनांक-..... 10-2-2016  
प्रतिलिपि- सम्बंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... 96(9)/110 दिनांक-..... 10-2-2016  
प्रतिलिपि :- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज निदेशालय, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), पटना/विभागीय बजट शाखा-5 तथा विभागीय प्रशाखा-9 को 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।